

देवघर समाहरणालय

(जिला भू-अर्जन शाखा)

-: अधिसूचना :-

अधिसूचना संख्या 372/भू अ0

दिनांक : 29/05/2017

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम :-जरगरी, थाना :-पालोजोरी, थाना सं०-422, अंचल:-पालोजोरी, जिला :-देवघर में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना- नोनीहाट-बासुकिनाथ -केराबानी- पालोजोरी-बगदाहा मोड़ पथ चौड़ीकरण हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम :-जरगरी, थाना :-पालोजोरी, थाना सं०-422, अंचल:-पालोजोरी, जिला :-देवघर में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 0.03 एकड़ का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है :-

क.स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	16	582	रैयती	अहरी	0.06	हरुण मियां वो अलि मियां वो बलि मियां वो हरमोई मियां पिता हातिम मियां वो ताहिर मियां पिता मोहर मियां वो इन्ताज मियां वो चिरावल मियां वो लाल मोहम्द पेशरान नसरु मियां वो कोदी मियां वो इसाख मियां वो जमलो मियां पेशरान मातुर मियां वो बलकु मियां पिता नुर मोहम्द वो हातिम मियां पिता छोटी मियां वो शोहराब मियां वो जलिल मियां वो बहरुदीन मियां पेशरान इस्माइल मियां वो समसुददीन वो फकरुददीन मियां वो तौभिक मियां वो अजमुददीन मियां वो समशेर मियां वो आसिम मियां पिता खलिल मियां वो मैरोदिन मियां पिता पदु मियां वो मनैजर मियां पिता मुसलिम मियां वो सनु मियां वो खुरखुरी मियां पिता गौरी मियां वो सोखिना बीबी वो बिजिया बीबी पिता नवी मियां वो ताहिर मियां माता सुबजी बीबी वो हजीरण वो माना बीबी वो करीणा बीबी माता गौनिया बीबी वो भौसकी बीबी माता चैनिया बीबी वो फुरकान मियां पिता अबास मियां वो समसुल मियां वो याकुब मियां पिता इब्राहिम मियां वो हीरु मियां वो करीम मियां पिता युसुफ मियां वो सनाउल मियां वो मुस्ताक मियां वो इलियास मियां वो सहादत मियां वो जाकिर मियां पिता कारु मियां वो झारु मियां पिता कोल्हा मियां वो खातिर मियां पिता इदुम मियां वो युनुस मियां वो रसीद मियां पिता खुरसेद मियां वो शहीद मियां वो सलीम मियां वो अबदुल मियां वो एतावल मियां वो सफाहुल मियां वो उत्तम मियां पिता अबुल मियां वो असार मियां पिता तसलिम मियां वो इदरिश मियां वो बैजु मियां वो अजिद मियां वो मजिद मियां पिता फारुक मियां वो अकतर मियां वो कासिम मियां वो नईम मियां वो शाहजहां मियां पिता कादिर मियां वो चिराउल मियां वो हफुदिन मियां पिता बसिर मियां।	निज	झगरु मियां-	दाग नं०- 583	दाग नं०- 509
	17	509	रैयती	धानी-3	0.16	मनेजर मियां पिता मुसलिम मियां वो शनु				

2						मियां वो खुरखुरी मियां पिता गौरी मियां				
3	17	495	रैयती	धानी-3	0.04	हरुण मियां वो अली मियां वो बली मियां वो हरमोज मियां पिता हातिम मियां वो ताहीर मियां पिता मोहर मियां वो इन्ताज मियां वो चिरावल मियां वो लाल मोहम्मद पिता नसरूल मियां वो कोदी मियां वो इसाख मियां वो जमला मियां पिता भातु मियां वो बलकु मियां पिता नुर मोहम्मद वो हातिम मियां पिता छोटी मियां वो सोहराब मियां वो जलील मियां वो बहरुदिन मियां पिता इस्माईल मियां वो समसुदिन मियां वो फकरुद्दीन मियां वो तौफिक मियां वो अजमुद्दीन मियां वो समशेर मियां वो ओसिम मियां पिता खलिल मियां				
कुल योग-					0.26					

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

हो/-

समाहर्ता-सह-उपायुक्त
देवघर।

ज्ञापांक 372 / भू अ0, देवघर, दिनांक 29/05/2017 5/1

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, पालोजोरी को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।

हो/-

समाहर्ता-सह-उपायुक्त
देवघर।